शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी–विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्र/राशिके/आईईडी/2011–12/508 भोपाल, दिनांक 16.1.12

प्रति,

जिला परियोजना समन्वयक,
जिला शिक्षा केन्द्र,
(जिला–झाबुआ,बुरहानपुर,बैतूल एवं डिंडौरी को छोडकर) समस्त–जिले (म.प्र)।

विषयः–सर्व शिक्षा अभियान समावेशित शिक्षा अंतर्गत वालेन्टियर हेतु 7 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित कराने बावत्।

सन्दर्भः–इस कार्यालय का पत्र क./राशिके/आईईडी/2011/3420 भोपाल दिनांक 26.5.2011

विषयांर्तगत सर्वशिक्षा अभियान समावेशित शिक्षा अन्तर्गत जिले की आईईडी गतिविधियों हेतु चयनित स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा नियुक्त वालेन्टियर का 7 दिवसीय प्रशिक्षण जिला स्तर पर जिला परियोजना समन्वयक एवं स्वयं सेवी संस्था के मध्य हुए MoU एवं समय–सारणी, संलग्न नार्म्स के अनुसार आयोजित किया जाना है।

अतः संदर्भित पत्र की गतिविधि क. 4 (7 days 'training of volunteers) के अनुसार जिले में उपलब्ध राशि को स्वयं सेवी संस्था को उपलब्ध कराते हुए व्यय आईईडी मद में बुक करें।

प्रशिक्षण में निम्नलिखित निर्देशों का पालन अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाए –

1 यह प्रशिक्षण 29 फरवरी 2012 तक अनिवार्यतः संपन्न किया जाए।
2 प्रशिक्षण में उपस्थित वालेन्टियर की उपस्थिति, सामग्री वितरण, भोजन–आवास (नगद अथवा भोजन– आवास व्यवस्था) आदि का रिकार्ड संबंधित स्वयं सेवी संस्था द्वारा संधारित किया जाए।
3 प्रशिक्षण की मानीटरिंग संबंधित डाइट/डीआरसी के पीजीपीडी प्रशिक्षित व्याख्याता (शिक्षक)/डाइट के आईईडी प्रभारी, एपीसी समावेशित शिक्षा/एपीसी मोबलाइजेशन द्वारा अनिवार्यतः कराई जाए ताकि प्रशिक्षण गुणवत्तापूर्ण एवं विधिवत् सम्पन्न हो सके।
4 इस प्रशिक्षण में डाइट के पीजीपीडी प्रशिक्षित व्याख्याता (शिक्षक), प्रशिक्षित एवं दक्ष एमआरसी, आरसीआई में पंजीकृत अन्य व्यक्तियों, स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा सर्व शिक्षा अभियान की समस्त गतिविधियों बावत एपीसी अकादमिक आदि को सुविधानुसार प्रशिक्षकों के रूप में लिया जा सकता है।
5 संलग्न समय–सारणी के अनुसार सुझाए प्रशिक्षण आयोजित कराया जाए।
6 प्रशिक्षण के पूर्व प्रीटेस्ट तथा प्रशिक्षण पश्चात् पोस्टटेस्ट आयोजित कर प्रशिक्षणार्थियों की उपलब्धि का विश्लेषण किया जाए ।
7 प्रशिक्षण में एक ओपन सत्र रखा जाए जिसमें नवनियुक्त वालेन्टियर के अनुभवों को भी सुना जाए तदनुसार उनकी समस्याओं का निवारण किया जाए।
8 उक्त प्रशिक्षण के आयोजन के पश्चात् प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र को हार्ड एवं साफ्ट कॉपी मे दो प्रतियों में तैयार कर एक प्रति जिला शिक्षा केन्द्र तथा एक प्रति राज्य शिक्षा केन्द्र के आईईडी कक्ष में अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जाए। प्रतिवेदन निम्न लिखित बिन्दुओं पर बनाया जाए– प्रस्तावना, प्रशिक्षण के उद्देश्य, प्रशिक्षण की समय'–सारणी, लक्ष्य एवं उपलब्धि, प्रशिक्षकों एवं प्रशिक्षणार्थियों का विवरण, प्रशिक्षण कार्यक्रम के फोटोग्राफ, समाचार पत्रों की कटिंग, मदवार व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि।

9 यह प्रशिक्षण भिण्ड, ग्वालियर, गुना, देवास, मंदसौर, इन्दौर, अलीराजपुर, खरगौन, खण्डवा, विदिशा, दमोह, पन्ना एवं अनुपपुर जिलों में जिले की आईईडी गतिविधियों हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं के विधिवत चयन एवं चयनित संस्थाओं द्वारा वालेन्टियर नियुक्ति के पश्चात् किया जा सकेगा।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार समय—सारणी एवं नार्म्स।

13.1.12

(अशोक बर्णवाल)
आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र
भोपाल

पृ.क./रा.शि.के./आईईडी/2011—12/509 भोपाल दिनांक 16.1.12

प्रतिलिपिः—

1 प्राचार्य डाइट/डीआरसी संबंधित जिला म.प्र. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
2 अध्यक्ष/सचिव संबंधित स्वयं सेवी संस्था को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
3 सर्व शिक्षा अभियान की वेबसाइट www.sss.mp.gov.in/circulars.htm/ एवं एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।

आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र
भोपाल

राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल
समय –सारणी (वालन्टियर प्रशिक्षण)
समय–प्रातः 10 से सांय 5 बजे तक

दिवस	कालखण्ड				
	प्रथम	द्वितीय	लंच	तृतीय	चतुर्थ
पहला दिवस	परिचय,प्रशिक्षण के उद्‌देश्य एवं प्री टेस्ट	वालेन्टियर के कार्य एवं उद्‌देश्य (जॉब चार्ट के अनुसार)		बाल विकास की अवधारणा	CWSN पहचान एवं प्रकार
दूसरा दिवस	निःशक्तता शीध्र पहचान एवं हस्तक्षेप	निःशक्तता के कारण एवं उसे रोकने के उपाय		सर्वशिक्षा अभियान की विभिन्न गतिविधियां	आईईपी / चाइल्ड प्रोफाइल
तीसरा दिवस	CWSN गृह आधारित शिक्षा	दैनिक कियाकलाप के कौशल		CWSN की विभिन्न आवश्यकताएं	विभिन्न उपकरण एवं उनके उनके उपयोग
चौथा दिवस	पढने,लिखने संबंधी प्रारंभिक कौशल	गणित संबंधी प्रारंभिक कौशल		व्यवहार प्रबंधन तकनीक	खेल एवं मनोरंजक गतिविधियां
पांचवां दिवस	परिवार का महत्त्व	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा		CWSN हेतु सुविधाएं	सक्सेस स्टोरी
छटवां दिवस	विभिन्न अधिनियम (निःशक्तता संबंधी)	अभिभावक जागरूकता		बाधारहित वातावरण	विभिन्न टीएलएम
सातवां	प्रेक्टिकल कार्य	प्रेक्टिकल कार्य		ओपन सत्र	पोस्ट टेस्ट एवं समापन

नोट– समय सारणी मे उल्लेखित गतिविधियों के अतिरिक्त जिले की आवश्यकतानुसार स्वयं सेवी संस्था अपने संसाधनों से गतिविधियां आयोजित कर सकती हैं।

वालेन्टियर का 7 दिवसीय प्रशिक्षण (2011–12) (5 वालेन्टियर प्रति बैच) हेतु नार्म्स–

क.	मद	दर राशि रू	संख्या	प्रावधानित राशि रु.
1	स्टेशनरी	25	5	125
2	भोजन एवं आवास	100	5	3500 (100X5वालेन्टियरX7दिवस)
3	कंटिजेंसी	575	–	575
4	स्रोत शिक्षक मानदेय	100	–	2800(100X4कालखंडX7दिवस)
योग–				7,000/-

उपरोक्तानुसार 5 वालेन्टियर के एक बैच हेतु कुल व्यय राशि रु. 7,000/– है परन्तु जिले मे नियुक्त वालेन्टियर की वास्तविक संख्यानुसार इकाई लागत @ रू 200 प्रति प्रतिभागी प्रतिदिवस के मान से अधिकतम व्यय किया जा सकता है।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित ।

(शोभित जैन)
अपर मिशन संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र
भोपाल